

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर  
305002



By speed post/Email  
Show Cause Notice  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-  
2695202

ई-मेल :ro.ajmer@ibm.gov.in

File No.: MCDR-MIFLOGEN/3/2024-AJM-IBM\_RO\_AJM दिनांक : 19-03-2025

प्रेषित: M/s Haritsons Minetech Private Limited  
Nandam-2,A 2 Tilak Marg C scheme  
Jaipur  
(Email: [hmpl.barmer@gmail.com](mailto:hmpl.barmer@gmail.com), [hmpl.haritosns@gmail.com](mailto:hmpl.haritosns@gmail.com))

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your mine code No.97RAJ04011 Siliceous Earth of 4.5 hect. situated in Bariyara Sheo Tehsil of Barmer District Rajasthan

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Nishant Kumar Rao, SrACOM on 25/07/24 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 45(7)	In annual return 2023-24 following discrepancies were observed: - PMCP Kmz file is not attached.  In Part I at sl no. 12. Lease area (surface area) utilisation as at the end of year (hectares): Being shown as zero  PART-III (Consumption of Materials): All table shown as zero even though excavation was done  PART-VI (PRODUCTION, DESPATCHES AND STOCKS) at sl no. 2 Production and Stocks of ROM ore at Mine-head: Production being shown as zero whereas in 3(ii) grade wise production : Ex mine price being shown as rs 577/ ton  At sl no. 5 Sales dispatch the material being dispatch to consignee which is not register with IBM .  Cost of production being shown rs 600/ ton whereas there is no production declared during year as well royalty was taken rs 89/ ton but royalty paid in part III shown as zero

02. इससंदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

05. कृपया ध्यान रखें कि आगामी 05 अप्रैल 2025 तक आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जयेगा।

भवदीय

एन. के. राव  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ .

- 1 खाननियंत्रक (उत्तर), भारतीय खानब्यूरो, उदयपुर, ईमेल द्वारा ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंताए खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर ।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो